

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

ममता उर्फ प्रियांशु

रेश

दावा बाबत :- 88 R.A. Act

मुकदमा नम्बर :- 48/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से वकील शकुन्तला चौधरी की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील राजेश प्रसाद की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रेश मोजा क्षेत्र खालसा के खता सं० 08/07 के खसरा सं० 30, 34, कुल 6-007 हे० कारनी हकि मुक्ति में सुरेश के नाम से 1/6 हिस्सा व खता सं० 09/08 के खसरा सं० 35, 41, 74, 86, 93, 125, 172 कुल 22-458 हे० कारनी हकि मुक्ति में सुरेश के नाम से 1/8 हिस्सा व रेश किराली के खता सं० 10/10 के खसरा सं० 118, 119 कुल 8-892 हे० कारनी हकि मुक्ति में सुरेश के नाम से 1/8 हिस्सा राजेश खिलार में दर्ज है उक्त वकिला हकि मुक्ति में सुरेश का जो पाल का नाम अनमोल कुमार किता जाकर वादीया ममता उर्फ प्रियांशु रेश सुरेश को खालसा कारनाकार वकिला किता जाया है हकि मुक्ति यदि वकिल के रदन होता रदन प्रक होने के उपरान्त ही राजेश खिलार में अनमोल परामर्श किता जावे / अपीला का रिशि का गाठ पडा जावे /

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
 (शिबिर पगारी) R.A.S.  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़  
 कैम्प  
02-12-2021